

एनएसआईसी-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलें

क्र.सं.	अनुसूची VII गतिविधि	परियोजना का प्रकार	प्रत्यक्ष/के माध्यम से: कार्यान्वयन एजेंसी और एनएसआईसी कार्यालय का नाम	स्थान
1	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII (i) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया	स्वच्छ भारत कोष में योगदान।	प्रत्यक्ष योगदान (एनएसआईसी मुख्य कार्यालय)	अखिल भारतीय
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII (vi) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान।	प्रत्यक्ष योगदान (एनएसआईसी मुख्य कार्यालय)	अखिल भारतीय
3	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII (viii) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया	प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में योगदान।	प्रत्यक्ष योगदान (एनएसआईसी मुख्य कार्यालय)	अखिल भारतीय
4	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII (i) में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत शामिल किया गया	03 सामुदायिक जल ई-पियो (E-PIO) मशीनों के संस्थापन के माध्यम से जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से - "मैसर्स पैसिफिक क्रिएटिव सोसाइटी" (एनएसआईसी- शाखा कार्यालय पुणे)	सिंधुदुर्ग जिला (महाराष्ट्र)